ISSN 2348-3857

19वीं शती के पश्चिमी राजपूताने में इस्लाम धर्म : एक अध्ययन

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. तेजेन्द्र वल्लभ व्यास

सहायक आचार्य

श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरजराज, रूपादेवी स्मृति महिला महाविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

इस्लाम का अर्थ, शांति में प्रवेश करना है। इस्लाम का प्रारम्भ एक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलन के रूप में हुआ। अरबों ने इस धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। समय के साथ यह युद्ध प्रधान धर्म बन गया। राजस्थान में आठवीं से ग्यारवीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं पर धीरे-धीरे पनपने वाले इस्लाम का 12वीं शताब्दी के उतरार्द्ध में अजमेर पर मुस्लिम विजय के पश्चात् तीव्र गति से प्रसार हुआ। इल्तुतमिश के पश्चात् बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, जहांगीर, शाहजहॉ व औरंगजेब आदि के शासन काल में हुए मुस्लिम सेना के उत्तरोतर आक्रमणों ने क्षेत्रिय निवासियों पर कठोरता थोपने में सफलताएं अर्जित कीं। जोधपुर, नागौर, जालौर, बीकानेर एवं जैसलमेर इस्लाम के प्रमुख केन्द्र रहे जहां पर इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ। प्रारम्भ में इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर हुआ। दीर्घकाल से हिन्दू व मुसलमान एक साथ रहने के परिणामस्वरूप उनमें एक दूसरे प्रति सहयोग, सहकारिता एवं आदान प्रदान की स्थिति बनने लगी। तत्कालीन शासकों ने मुस्लिम दस्तकारों एवं कलाकारों को प्रश्रय दिया, राजकीय सेनाओं में स्थान प्रदान किया गया, मुस्लिम व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गयीं एवं अनेकों को जागीरें प्रदान की गयीं। इस प्रकार उक्तकाल में हिन्दू-मुस्लिम वैनमस्य जैसी स्थिति नहीं रही। मुस्लिम फकीर दीन दरवेश ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सांसारिक अनित्यता, पाखण्ड,जाति भेद, धार्मिक कट्टरता इत्यादि की भर्त्सना की।

संकेताक्षर : *इस्लामिक सिद्धान्त, आक्रामक प्रचार-प्रसार, हिन्दू-मुस्लिम सहयोग*

इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद थे। उनका जन्म 570 ई. में मक्का नगर में कुरैश कबीले के हाशिम परिवार में हुआ था। इनके कबीले के सदस्यों ने इन्हें 'अमीन' (जिसका अर्थ विश्वासी होता है) कहकर पुकारा।[1] कुरान में इन्हें दो नाम दिये गये, एक तो मुहम्मद और दूसरा अहमद।[2] मुहम्मद साहब एक साधारण व गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमना था। उनके जन्म के कुछ ही महिने पूर्व उनके पिता का देहान्त हो गया था। जब वे छ: वर्ष के हुए तब इनकी माता भी चल बसीं। अतएव उनके लालन-पालन का भार उनके दादा अब्दुल्ला मुतालिक के कन्धों पर आ गया। दादा के इन्तकाल के पश्चात् मुहम्मद साहब की देखभाल उनके चाचा अबु तालिब ने की। अबु तालिब की आर्थिक दशा सन्तोषप्रद नहीं थी और आर्थिक विपन्नता अधिक क्लेश दिया करती थी। मुहम्मद को इस परिवार से बाहर ही काम ढूंढकर अपनी जीविका के साधनों को खोजना पड़ता था। कभी कभी वे रेगिस्तान में शहतूत चुनते तथा भेड़ चराते थे।[3] जब जीवन चलाना कठिन हो गया तब नौकरी की तलाश करने लगे। आपको मक्का में ही खदीजा नामक एक विधवा व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गयी। मुहम्मद साहब पर खदीजा ने अटूट विश्वास करना प्रारम्भ किया । खदीजा ने मुहम्मद साहब से शादी रचा डाली। शादी के वक्त खदीजा की उम्र 40 वर्ष और मुहम्मद की उम्र 25 वर्ष की थी। खदीजा से विवाह कर मुहम्मद साहब ने अपने आपको एक नये मोड़ पर पाया। कुरान के अनुसार मुहम्मद साहब को अब पेट भरने की चिन्ता नहीं रही। अब वे जगत तथा जीवन के सम्बन्ध में मनन करने लगे।[4] बड़ी बेफिक्री से उन्होंने चिन्तन तथा अध्ययन में अपना जीवन एवं समय लगाना प्रारम्भ किया।

मुहम्मद साहब मक्का के बाहर पहाड़ी के किनारे 'हीरा' नामक गुफा में चिन्तन करने लगे।[5] अध्ययन, मनन तथा निध्यासन में लगे हुए मुहम्मद को एक रात में आकाशवाणी सुनायी पड़ी: 'अपने ईश्वर की, जिसने सृष्टि की है, चर्चा करो।[6] मुहम्मद साहब ने इस

आह्वान को स्वीकार किया। इस रात को 'शक्ति की रात' कहा जाने लगा ।[7] थोडे समय बाद पुन: दूसरी आकाशवाणी हुई जिसे सुनकर उद्धेलित भावना लिए मुहम्मद साहब घर की ओर दौड़े और अपनी बीवी को अपना शरीर ढँक देने के लिये कहा। खदीजा ने तत्काल एक आवरण को उनके बदन पर डाल दिया। मुहम्मद साहब ने मुसलमानों का आह्वान कर उनमें सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक मार्गों का निरूपण करना प्रारम्भ किया। मुहम्मद साहब ने अपने आह्वान व सन्देश में स्वयं को मसीहा के रूप में प्रकट किया। उन्होंने लोगों के समक्ष ईश्वर को सर्वशक्तिशाली, सर्वप्रिय एवं सृष्टिकर्ता के रूप में उपस्थित किया। इन्होंने उपदेश दिया कि सृष्टि नश्वर है और सृष्टिकर्ता अनश्वर। ईश्वर ने मानव की सृष्टि करते समय उसमें नैतिक उत्तरदायित्व की भावना आचरण का व्यवहार कर सके।[8] तदन्तर मुहम्मद साहब को इस्लाम (शांति के प्रवेश) का इलहाम (प्रेरणा की अवस्था में दर्शन) हुआ। मुहम्मद ने इसके साथ ही इस्लाम धर्म का प्रवर्तन शुरू किया । मुहम्मद ने सामाजिक समानता तथा सर्वव्यापी बन्धुत्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस्लाम धर्म का मूल मन्त्र 'ला इलाह इल्लिलाह मुम्मदर्रसूलिल्लाह अर्थात् अल्लाह के सिवाय और कोई पूज्यनीय नहीं है, तथा मुहम्मद उसके रसूल हैं। इस्लाम धर्म के मूल ग्रन्थ कुरान, सुन्ना और हदीस हैं। कुरान में मुसलमानों के लिए पांच धार्मिक कृत्य निर्धारित किए गये है।[9] इस्लाम का प्रारम्भ एक सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आन्दोलन के रूप में हुआ। अरबों ने इस धर्म का व्यापक प्रचार-प्रसार किया। समय के साथ यह युद्ध प्रधान धर्म बन गया। भारत में इस्लाम धर्म की सभ्यता व संस्कृति का प्रचार प्रसार दो प्रकार अर्थात् शांति व शक्ति से हुआ। शान्तिपूर्वक इसका प्रचार करने वालों में अरब व्यापारी व मुस्लिम संत थे। शक्तिपूर्वक इस्लाम का प्रचार करने वालों में अरब व तुर्क थे। गौरी शंकर भट्ट के अनुसार इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुस्लिम आक्रमणकारी विजयाकांक्षा, धनलिप्सा और जिहाद (धर्म प्रचार) की भावना से अधिक प्रेरित थे, जिसके कारण उन्होंने तलवार का अधिक आश्रय लिया, फिर भी ये कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं, जितने तत्कालीन हिन्दू सामाजिक व्यवस्था, उसकी कमजोरियॉ तथा दोष थे। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार हिन्दुत्व के जुल्म से घबराये हुए गरीब लोग ही अपनी मुक्ति पाने को इस्लाम के झण्डे के नीचे चले गए। के.एम.असरफ ने लिखा है, मुस्लिम सम्पर्क के कारण प्राचीन हिन्दू संस्थाएं तथा प्रथाएं नष्ट भ्रष्ट हो गयीं थीं। राजनैतिक तथा सामाजिक विभाग बिगड़ गये, जाति प्रथा का सुधार हुआ, तथा धार्मिक प्रवृतियों को एक नयी दिशा और शक्ति प्राप्त हुई जिससे एक नवीन सभ्यता व संस्कृति का सृजन हुआ।'[10] इस्लाम के सामाजिक धार्मिक मतभेद के साथ भारतीय विचार और चिन्तन का संघर्ष नये ढंग से आरम्भ हुआ। समाज और शासक वर्ग के भीतर प्रतिक्रियाजन्य अनुभूतियों का जन्म हुआ। शासक और जनसामान्य ने इस्लाम की नीतियों एवं स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न शुरू किया।[11] इस्लामिक कानून जो कि जीवन की सम्पूर्णता को समेटे हुए है। इस्लाम के अनुयायियों को अल्लाह के आदेशानुसार सही तरीकों से रहने, क्रियाओं को करने की सीख देते है। एक सच्चा मुसलमान जिन मूलभूत मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन करता है, वे हैं- तोहिद (एकेश्वरवाद), सुलत (आराधना), जकात(दान), साम (उपवास) तथा हज (तीर्थ यात्रा)। इस्लाम की अन्य मान्यताओं में सूअर के मॉस खाने पर प्रतिबन्ध और जानवरों के अनुचित तरीके से वध द्वारा प्राप्त मांस भक्षण, मद्यपान पर प्रतिबन्ध है। स्वर्ग के आनन्द, नरक के दण्ड आदि भी व्यापक विश्वासों के रूप इस्लाम में प्रचलित हैं। खतीब (उपदेशक), इनाम (उपासक नेता) मुअज्जिम (उपासना हेतु पुकारने वाला, मुल्ला, मुफ्ती (धार्मिक रिवाजों के सन्दर्भ में निर्णय देने वाला) तथा गाद्दी (धार्मिक न्यायाधीश) इत्यादि पद इस्लाम में पाये जाते हैं। इस्लाम में परम्परात्मक स्वरूपों एवं रीति रिवाजों को एकीकृत हिस्से के रूप में अवलोकित किया जा सकता है।[12]

राजस्थान में आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी व उत्तरी सीमाओं पर धीरे-धीरे पनपने वाले इस्लाम का 12वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अजमेर पर मुस्लिम विजय के पश्चात् तीव्र गति से प्रसार हुआ। 1192 ई. में अजमेर अधिग्रहण के पश्चात् हिन्दू विश्वासों को पूरी तरह से नष्ट करके, मन्दिरों को ध्वस्त करके, पूर्ण उत्साह व शौर्य के साथ इस्लाम धर्म व्यवस्थित हुआ। इलियट एवं डाउसन के अनुसार 'सुल्तान (मुहम्मद गौरी) ने प्रतिमाओं को, मन्दिरों के गुम्बद के अनुदेशों और रीति रिवाजों सम्बन्धी नियमों को लागू कर दिया।' इसी लेखक ने जालौर पर इल्तुमिश के नेतृत्व में मुस्लिम सेनाओं की विजय के परिणामों का उल्लेख करते हुए मन्दिरों को विध्वंस कर मस्जिदों के निर्माण और लोगों को गुलाम बनाये जाने उल्लेख किया है।[13] जयसिंह सूरी भी अपने ग्रन्थ हम्मीर-मद-मद्रन में इल्तुतमिश द्वारा किए गए नागदा हत्याकाण्ड का वर्णन करता है।[14] इल्तुतमिश के पश्चात् बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, जहांगीर, शाहजहाँ व औरंगजब आदि के शासन काल में हुए मुस्लिम सेना के उत्तरोतर आक्रमणों ने क्षेत्रीय निवासियों पर कठोरता थोपनें में सफलताएं अर्जित की। मन्दिरों का विध्वंस तथा गुलामीकरण की प्रक्रिया का हिन्दूवाद पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से मारवाड़ तथा मेवाड़ के सन्दर्भ में। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या व कृषकों पर किये गये अत्याचारों की दुखान्तिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जहाँ लोगों को घरों से विहीन कर दिया गया। अव्यवस्था तथा असन्तोष का स्तर भी व्यापक रहा जिसका प्रभाव सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के विनष्टीकरण के रूप में हुआ।[15] उपरोक्त आक्रमणों और मिशनरी गतिविधि के परिपेक्ष्य

में इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम व्यापारी, कारीगर तथा सिपाही भी अजमेर, जालौर, नागौर, चितौड़, माण्डेल, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और उसके आस पास के क्षेत्रों में आकर रहने लगे तथा उन्मुक्त रूप से अपने धर्म का अनुपालन करने लगे। वि.सं. 1764 में अमरसिंह ने काज़ी सुल्तान महमूद को 100 बीघा जमीन तथा क्षेत्रीय राजस्व में हिस्सा प्रदान किया।[16] जोधपुर में ईद के अवसर पर काजी को सिरापाव (रोब ऑफ ऑनर) प्रदान किये जाने सम्बन्धी विवरण दस्तरी रिकार्ड में दर्ज हैं।[17] इसी प्रकार दस्तुर कामवार के अनुसार ऐसे कई कारीगर अली निजाम, अब्दुल्ला हल्लाल बख्श आदि को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था।[18]

अजमेर,जयपुर,जोधपुर और इनके पड़ोसी क्षेत्रों में अनेकों मस्जिदों का निर्माण हुआ।[19] इस सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के शासकों ने इस्लाम के प्रति उदार नीति को अपनाया और हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों वर्गो को साथ-साथ संरक्षण प्रदान किया। राजपुताने के शासक अजमेर की दरगाह को सहायता राशि, धन अनुदान और भूमि दान करने में पर्याप्त उदार थे।[20] वि.सं. 1774 में अजीतसिंह ने अजमेर दरगाह को सरना गॉव की जागीर प्रदान कीं।[21] वस्तुत: गौ वध के प्रश्न को लेकर कभी-कभी हिन्दूओं व मुस्लमानों मे वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होते रहे हैं। दस्तरी रिर्कोडस् में वर्णित एक घटनाक्रम के अनुसार मुसलमानों द्वारा ईद उत्सव के दौरान गौ वध किये जाने पर हिन्दूओं ने कठोर विरोध किया। महाराजा ने अपराधियों को दण्डित किया तथा भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृति नहीं होने सम्बन्धी चेतावनी दी।[22] इसी रिकार्ड के अनुसार ताजिये के दिन हुए उपद्रव ने जोधपुर के सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने को प्रयास किया।[23] जोधपुर में मण्डोर उद्यान के समीप जूनी बस्ती में पार्श्वनाथ व आदेश्वर जैनालयों के बीच खड़ी शाही मस्जिद साम्प्रदायिक सद्भाव की कहानी खुद-ब-खुद सुनाती प्रतीत होती है। जोधपुर शहर के बीच खाण्ड़ा फलसा में स्थित एकमीनार मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां के हुकम से बनाई गई। पुरातात्विक निदेशालय की ओर से सन् 1971 ई. में प्रकाशित 'पब्लिश्ड मुस्लिम इंसक्रिप्शन ऑफ राजस्थान में यकमिनार (एकमिनार) मस्जिद सन् 1649-50 में तामीर हुई बताई गई। यकमिनार आज एक अकेली मिसाल के रूप में खड़ी है। हिजरी संवत् 1112 अर्थात् 1690 ई. में इस मस्जिद के खर्च के लिए अजमेर सूबा के खजाने से सवा रुपया रोज की मंजूरी दी गई थी। इसके उत्कीर्ण फारसी अभिलेख के अनुसार हिन्दू और मुसलमान दोनों की इमदाद से इसका विकास हुआ। राजघराने की तरफ से रमजान के महिने में आखिरी जुम्आ (जुम्आ-तुल-विदा) की नमाज पढ़ने हेतु एक बग्गी आती, जिसमें शहर काजी बैठकर ईदगाह पहुंचते थे। इस मस्जिद में ईदैन की नमाज नहीं होती।[24] ईदगाह जोधपुर की तारीख (ऐतिहासिक) मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण आलमगौर शाह के शासनकाल में हुआ। इसके अतिरिक्त 1800-1900 ई. के बीच मुसलमानों की बढती आबादी तथा कौम की अपनी विशेषता के रूप में अन्य मस्जिदों का निर्माण हुआ। इसमें जामा मस्जिद (उदयमन्दिर), लखारों की मस्जिद (लखारा मोहल्ला), मोचियों की मस्जिद, सिलावटों की मस्जिद प्रमुख हैं। सिलावटों की मस्जिद दो भागों में बटी हुई है, जिसमें एक तरफ नागौरी सिलावट तथा दूसरी तरफ मेड़ती सिलावट नमाज अदा करते थे।[25] बड़ी खाटू में शाह आलम द्वितीयकालीन अभिलेख (8 जनवरी 1790 ई.) से मस्जिद निर्माण का उल्लेख मिलता है।[26] यहीं पर संगतराशें की मस्जिद का अभिलेख (जनवरी 1796) से संगतरासी के समाज द्वारा मस्जिद के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मेड़ता स्थित जामा मस्जिद के अभिलेख (1807-08 ई.) से ज्ञात होता है, कि महाराजा भीमसिहं के पुत्र एवं उत्तराधिकारी धोकलसिहं के द्वारा इस मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ। इसमें यह भी उल्लेख मिलता है, कि मस्जिद की दुकानों के किराए में गड़बड़ी करने वाला पाप का भागी होगा।[27] नागौर स्थित अतार्किन की मस्जिद (सन् 1808 ई.) वनी हमीउद्दीन की इस मस्जिद का शिलान्यास अब्दुल गफूर खान के प्रयासों से नवाब अमीर खान द्वारा हुआ। इस मस्जिद निर्माण कार्य फैजुल्लाखान के पुत्र बैहराम खान की देखभाल में बादशाह मोहम्मद अकबर शाह 2 के समय सम्पन्न हुआ।[28] नागौर के पुराने कोट में स्थित मस्जिद का निर्माण सन् 1810-11 ई. में मुहम्मद अयाज के समय जहान खान द्वारा किया गया।[29] जोधपुर स्थित नागौरी गेट पर शाहहुसैन सन् 1839-40 ई. में एक मस्जिद का निर्माण करवाया।[30] जालोर दुर्ग में स्थित मस्जिद एवं सद बावड़ी की मस्जिद का निर्माण 19वीं शती में हुआ। जोधपुर दुर्ग में सम्प्रति भूरें शाह की दरगाह है। भूरेशाह जोधपुर राजघरानों की फौज में मुलाजिम थे। महाराजा मानसिंह के शासनकाल में हुए जोधपुर-जयपुर संघर्ष में भूरेशाह लड़ते हुए शहीद हुए। वहीं उनकी मजार का निर्माण किया गया। मानसिंह के शासनकाल में किले को और अधिक तामिल (बढाने) किया गया। सीधी दीवार बनाते वक्त भूरेशाह की मजार बीच में आ गई। किले की दीवार को सीधा करना जरूरी था। बेलदारों ने मजार को हटाना चाहा, लेकिन मजार की खुदाई नहीं हो सकी। ऐसी किवदन्ती है, कि महाराजा मानसिंह को सपने में भूरेशाह ने कहा कि मैने आपके लिए प्राणोत्सर्ग किया, परन्तु आप हमारी मजार हटवाना चाहते हैं। अत: महाराजा मानसिंह ने आदेश दिया की किले की फसिल (दीवार) को टेडा करके बनाई जाये ताकि मजार को बनाये रखा

जा सके। साथ ही माहराजा मानसिंह ने यह भी आदेश दिया कि किले में राजपरिवार का प्रत्येक सदस्य प्रवेश करने से पहले भूरेशाह की दरगाह पर रूकेंगे और नजराना देंगे। राज्य की ओर से चार रुपये नजराना देने की पेशकश भी की गई।[31] पश्चिमी राजपुताना के मुसलमानों में शेख,पठान, मुगल सैयद आदि जातियां तथा उप जातियां, तैली, रंगरेज (छीपा), बिसाती कूंजड़ा, सीलावट, मिरासी, जुल्लाहा आदि पाई जाती थीं।[32] तेली अर्थात तेलियों को शेख बताया गया तथा कोट कोलूर से मारवाड़ में आये। यहाँ मुसलमान राजपूत भी इनमें मिल गये, जिससे इनकी खापं खोखर, तंवर, बहलीम, गोरी, सैयद, खिलजी आदि में बंट गयी। रिपोर्ट मर्दुमशुमारी राज मावाड़ के अनुसार इनका प्रमुख पेशा तो तेल निकालने का है लेकिन जोधपुर में अकसर ये लुहार तथा सिलावट का कार्य करते हैं। गाँवों में ये लोग रूई पिजते है।[33] छीपा, कपडे छापते और रंगते थे। इनका निकाह काजी पढाता था।[34] मिरासी गाने बजाने वाले मुस्लिम होते थे, इन्हें मीर भी कहा जाता था। इनकों सारंगी बजाने की कला पर पूर्णाधिपत्य था।[35] कूंजड़ा लोग पहले राजपूत थे, जब मीरांसाहिब ने अजमेर का किला फतह किया इनके पूर्वजों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मुसलमान बना कर छोड़ दिया। इनकी जात (क्यों जड़ा) कूंजड़ा रखी, ये अजमेर से मारवाड़ तथा जांगल की ओर चले गये। मारवाड़ में पहले तो सिपाही बने बाद में महाराजा श्री भीमसिंह के समय ने साग-सब्जी बेचने लगे। कूजडे.मीरासाहिब मेले में अजमेर जाया करते थे। मीरासाहिब की दरगाह पर खण्ड (दोहे) बोलते थे।[36] मुसलमान- सिलावट,जोधपुर, नागौर, मेड़ता, मारोठ, डीडवाना के परगनों में ज्यादातर निवास करते थे। कुछ सिलावट तो मुहम्मद गौरी के आक्रमण के समय ही भारत में आये थे, बाकी राजपूत मुसलमान थे। जो कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। मारवाड़ में नागौरी सिलावट तथा मेड़ती सिलावटों की रूपरेखा अलग-अलग रही। मेड़ती सिलावटों में खताई, ताजिक, खिलजी, काबुल से घोडे. लेकर व्यापार हेतु भारत में आये तथा अजीसिंह के समय नागौर में बसने लगे। नागौर में जोशी ब्राह्मणों से संघर्ष के कारण ये मेड़ता पीपाड़, रियां और सोजत में आकर रहने लगे। यहाँ साबुन बनाने का कार्य करने लगे। ये दिन में पांच बार नमाज पढ़ते थे। नागौरी सिलावट नागौर से जोधपुर में आये। यहां इनका मुख्य व्यवसाय जमीन मापने का था।[37] जुल्लाहा मुल्तान से भारत तथा भारत से अजमेर में रहने लगे थे। अजमेर से ये मारवाड़ की ओर अग्रसित हुए। इनका मजहब सून्नी है तथा सूअर और झटके का मांस नहीं खाते व शराब नहीं पीते है। इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है।[38] इनके अलावा खानजादा, कायमखानी, मलकाना, मेव आदि मुख्यत: थे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जोधपुर, नागौर, जालोर, बीकानेर, एवं जैसलमेर इस्लाम के प्रमुख केन्द्र रहे। जहां पर इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ। प्रारम्भ में इस्लाम का प्रचार तलवार के बल पर हुआ। दीर्घकाल से हिन्दू व मुसलमान एक साथ रहने के परिणाम स्वरूप उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग, सहकारिता एवं आदान प्रदान की स्थिति बनने लगी। तत्कालीन शासकों ने मुस्लिम दस्तकारों एवं कलाकारों को प्रश्रय दिया, राजकीय सेनाओं में स्थान प्रदान किया गया, मुस्लिम व्यापारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गयीं एवं अनेकों को जागीरें प्रदान की गयीं। इस प्रकार उक्तकाल में हिन्दू - मुस्लिम वैनमस्य जैसी स्थिति नहीं रही। मुस्लिम फकीर दीन दरवेश ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सांसारिक अनित्यता, पाखण्ड,जाति भेद, धार्मिक कट्टरता इत्यादि की भर्त्सना की गयी।

सन्दर्भ सूची

1. इब्न हसन, सरिहा, पृ.125
2. कुरान, 3:138
3. डॉ. धनपति पाण्डेय, मध्यकालीन अरब का इतिहास, भागलपुर 1973, पृ.18
4. कूरान 93, 69
5. इब्राहिम लतीफ, मेरिट एट हारमियन, पृ. 56
6. कुरान 96,1-5
7. वही
8. डॉ. धनपति पाण्डेय, पूर्वोक्त, पृ.20
9. डॉ. राधेशरण, मध्यकालीन, भारत की सांस्कृतिक संरचना, भोपाल, 1998, पृ. 121
10. के.एम. अशरफ, लाइफ ए.ड. कन्डिशन ऑफ हिन्दुस्तान, पृ.191
11. डॉ. राधेशरण, मध्यकालीन, भारत की सांस्कृतिक संरचना, भोपाल, 1998, पृ. 23
12. डब्लू. एम. रियोडोर डी. बेरी, सोर्सेज ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन, दिल्ही 1963, पृ. 371, 374
13. इलियट एवं डाउसन, दि हिस्ट्री ऑफ इण्डिया एज रूल्ड बाय हट्स ऑवन हिस्टोरियनस 2, लन्दन 1866 पृ.238-39
14. हमीर-मद-मद्रन अंक 3, पृ.25 -33 उदधृत डॉ. गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास 1, पृ.201
15. इलियट एवं डॉउसन, पूर्वोक्त 2, पृ. 370-371

16. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, सोशियल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, पृ. 219-20
17. हकीकत बही, वि.सं. 1823
18. दस्तूर कामवार 23, पृ. 1-42
19. आर्कीयोलाजिकल सर्वे, XXIII पृ. 35-39
20. खास परवाना बी, न. 1 फाइल न. 54 आसोज सुद 4, वि.सं. 1774
21. डॉ. गोपीनाथ शर्मा, पूर्वोक्त, पृ. 220
22. दस्तरी रिकार्डस, हकीकत बही, न.1 वि. सं. 1836
23. वही
24. काजी अहमद बक्श, अफादाते हम्मीदिया, नागौर, 1924 ई.
25. काजी मोहम्मद अय्यूब अन्सारी (शहरकाजी) के रिकार्ड से
26. एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन एपीग्राफी, 1958-59, पृ. 172 मांगीलाल व्यास 'मंयक', मारवाड़ के अभिलेख, जोधपुर 1973 पृ. 172
27. इण्डियन आर्कियोलाजी, 1962-93, पृ.60
28. एजीग्राफीया इण्डिया, 1949-50, पृ. 51
29. एनुअल रिपोर्ट ऑफ इण्डियन एपीग्राफी, 1961-62, पृ. 22, मांगीलाल व्यास 'मंयक' , वही, पृ. 174
30. वही, 1955, 56, पृ.154
31. शहर काजी मोहम्मद अय्यूब अंसारी के रिकार्ड के आधार पर
32. डॉ. जगदीश गहलोत, राजस्थान के रीति रिवाज, पृ. 50
33. रिपोर्ट राज मर्दुमशुमारी राज मारवाड़ 3, पृ. 496
34. वही, पृ. 370
35. वही, पृ. 480
36. वही, पृ. 549
37. वही, पृ. 505
38. वही पृ. 523